

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापूर सिटी जिला सवाई माधोपूर  
पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर

क्र०सं०	पूर्व पत्रावली सं०	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं०	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	39/24	09.12.2024	45/25 (2024/109)	16.01.2025	29.12.2025	1 लगायत 3

- हरिसिंह पुत्र सरीला जाति गुर्जर निवासी फिरासपुर तहसील गंगापूर सिटी
- नत्थू पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी फिरासपुर तहसील गंगापूर सिटी

—अपीलार्थी

बनाम

- सरकार जरिये तहसीलदार गंगापूर सिटी ।

—रेस्पोजेन्ट

उपस्थित:-

अपीलार्थी की ओर से :- विद्वान अभिभाषक श्री वीरबल गुर्जर ।

रेस्पोजेन्ट की ओर से :- परोकार सरकार

अपील धारा 75 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापूर सिटी द्वारा मिसल संख्या 87/2024 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फराशपुर के आराजी ख० नं० 147 रकबा 0.38 है० किस्म चाही 3 एवं जाव 3 (मंदिर माफी) पर अनाधिकृत रूप से प्रतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी  
मु0नं0 45/25 उनवान हरिसिंह बनाम सरकार

निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 147 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम फराशपुर करीब 1 वर्ष से कोई कब्जा नहीं है तथा हल्का पटवारी ने सम्वत् 2081 में बाजरे की फसल काशत करना गलत बताया है। जबकि मौके पर अपीलान्त ने खरीब की फसल में बाजरे की फसल काशत नहीं किया, जिस क्रम में अपीलान्त ने अदालत मातहत में दुबारा मौका देखने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था तथा दुबारा बिना मौके पर जाये ही हल्का पटवारी ने उक्त फसल को पानी भरकर नष्ट हो जाना गलत दर्ज कर दिया। अपीलान्त गांव के अशिक्षित वृद्ध व्यक्ति है, जो कानून के बारे में बहुत कम समझते है तथा अतिक्रमी मौके पर पूर्व में उक्त भूमि की खातेदारी अपीलान्त के बुजुर्गान के नाम होने के कारण काबिज थे तथा सैटलमेन्ट ने उक्त जमीन को बिना कानून अवैध रूप से मंदिर श्री गंगाजी के नाम से दर्ज कर दिया। उक्त भूमि माफी मंदिर के नाम हो जाने के कारण रिसिवर में ले ली गयी थी एवं रिसीवरी से वागुजास्त हो जाने के बाद उक्त भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। अपीलान्त का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आदेश पारित किया है पटवारी हल्का द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया है ना ही कोई सीमाज्ञान किया गया है तथा एक पक्षीय रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। किन्तु उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्र दिनांक 18.11.2025 के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी के आदेश क्रमांक राजस्व/1158 दिनांक 03.06.2025 द्वारा रिसीवरी प्रकरण मूर्ति मन्दिर श्री गंगाजी बनाम चिरंजी वगै0 फरासपुर में दिनांक 13.06.2025 को उक्त खं0नं0 को सम्वत् 2082 की हककाशत निलामी द्वारा सुग्रीव पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर निवासी फरासपुर को हककाशत निलामी कर दी गई है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्त ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का खसरा प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता अवैधानिकता नहीं है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी  
मु०नं० 45/25 उनवान हरिसिंह बनाम सरकार

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार गंगापूर सिटी के आदेश क्रमांक राजस्व/1158 दिनांक 03.06.2025 द्वारा रिसीवरी प्रकरण मूर्ति मंदिर श्री गंगाजी बनाम चिरंजी वगै० फरासपुर में दिनांक 13.06.2025 को उक्त खं०नं० को सम्वत् 2082 की हककाशत निलामी द्वारा सुग्रीव पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर निवासी फरासपुर को हककाशत निलामी कर दी गई है।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी सजा की हद तक स्वीकार की जाती है तथा शेष बेदखली व शास्ति आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)  
अति. जिला कलेक्टर,  
गंगापूर सिटी